तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
19.5.2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री करणसिंह तंवर , अभिभाषक प्रार्थी । श्री राजेश कुमार, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर प्रथम द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–12–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं.1 से 3 द्वारा विवादित आराजी बाबत् एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने का निवेदन किया। न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर प्रथम ने उभय पक्ष को सुन कर अपने आदेश दिनांक 5–12–05 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि विवादित आराजी का मूल खातेदार अन्नाराम पुत्र सुखा माली था। अन्नाराम की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी उसके वारिस मोहनलाल जो अप्रार्थी सं. 1 से 5 का पिता/पति है, ने सन् 1969 में अप्रार्थी सं. 12 से 14 के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय बैचान कर दी तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। खरीददारान के नाम नामांतरकरण भी स्वीकृत हो गया। दिनांक 19–5–94 को विवादित आराजी अप्रार्थी सं. 12 से 14 ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रार्थीगण को बेच कर कब्जा सुपुर्द करवा दिया तथा नामांतरकरण भी प्रार्थीगण के नाम स्वीकृत हो गया। तत्पश्चात् अप्रार्थी सं.1 से 4 ने वाद घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। विवादित आराजी का बेचान अप्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा किये जाने से वादीगण का वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है। अप्रार्थीगण वादीगण ने वाद में स्वयं माना है कि मोहनलाल ने विवादित आराजी का बेचान संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से किया है। अप्रार्थीगण ने वाद में बैनामा दिनांक 25–8–69 को फर्जी बताया है। विक्रय पत्र सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। वादीगण को विक्रय पत्र दिनांक 25–8–69 का ज्ञान था। वाद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	हेतुक की झुठी कहानी बनाकर विवादित आराजी को हडपने के उद्देश्य से वाद पेश किया गया है। विक्रय पत्र दिनांक 25–8–69 के विरूद्ध कोई चाराजोही नहीं की गई है। लम्बे समय बाद मौजूदा वाद बिना कॉज ऑफ एक्शन के वास्तविक तथ्यों को जानबूझकर छुपाते हुये दावा पेश किया गया है। एसी स्थिति में अप्रार्थी वादी का वाद खारिज योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस करते हुये कथन किया कि वादीगण का वाद घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसका निस्तारण सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के पश्चात् गुणावगुण पर होना है। आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के सबंध में दावे के साथ प्रस्तुत कथनों को देखना होता है। अन्य किसी दस्तावेज व जवाबदावा पर विचार नहीं किया जाता। शेष तथ्य साक्ष्य के बाद ही निर्णित होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को गुणावगुण पर निस्तारण करना उचित समझते हुए नियमानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज किया गया है। अतः निगरानी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के संबंध में मूल वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय में लम्बित है। वाद को निरस्त करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर प्रथम ने उभय पक्ष को सुन कर अपने आदेश दिनांक 5–12–05 द्वारा खारिज किया है जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की है। सहायक उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर प्रथम ने उभय पक्ष को सुन कर अपने आदेश दिनांक 5–12–05 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी इस आधार पर खारिज किया है कि विवादित बैचान वॉईड है अथवा वोईडेबल। इस बिन्दु का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	निस्तारण पूर्ण सुनवाई के उपरांत न्यायिक प्रक्रिया के पश्चात् किया जाना है। ऐसी स्थिति में वाद को बार्ड बॉय लॉ नहीं माना है तथा प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी अस्वीकार योग्य होने से खारिज किया है। वादपत्र के प्रकथनों पर ही विचार किया जाना है। उभय पक्ष की बहस पर मननोपरांत वाद पत्र के प्रकथनों से यह प्रतीत नहीं होता है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है। वाद पत्र के प्रकथनों के आधार पर खातेदारी आराजी बाबत् वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का होने से न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है तथा वाद में वाद हेतुक उत्पन्न होता है, वाद का विनिश्चियन तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य/सबूतों को रिकार्ड पर लिये जाने के पश्चात् गुणावगुण पर होना शेष है। हमारे समक्ष प्रार्थी द्वारा उठाये गये समस्त तथ्य मूल वाद में सम्पूर्ण कानूनी प्रकिया एवं साक्ष्य-जवाब आदि के पश्चात् तय होने है। मूल दावा अभी प्रारम्भिक स्तर पर है और उसमें उभय पक्ष के हक हकूक एवं अधिकार तय होना बाकी है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आर्ड़र 7 नियम 11 निम्न प्रकार हैः- *“**11. Rejection of plaint.-** The plaint shall be rejected in the following cases:—* *(a) where it does not disclose a cause of action;* *(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;* *(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;* *(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;* *(e) where it is not filed in duplicate;* *(f) where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9;* *Provided that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp-paper, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.* इस प्रकार इस नियम के अनुसार दावा खारिज किया जावेगा यदि	

(क) वाद हेतुक को प्रकट नहीं किया गया हो, (ख) अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो, (ग) वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्रों पर लिखा गया हो, (घ) वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो, (ड.) वादपत्र डुप्लीकेट में प्रस्तुत नहीं करना अथवा (च) नियम 9 की अनुपालना नहीं की गयी हो। जब आर्ड़र 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनपात्र इस बिन्दु पर आधारित हो कि वाद विधि द्वारा वर्जित है अर्थात निगरानी प्रार्थनापत्र का आधार आर्ड़र 7 नियम 11 सीपीसी का उपनियम (घ) हो तो उपनियम (घ) की शब्दावली "where the suit **appears from the statement in the plaint** to be barred by any law" पर ध्यान देना आवश्यक है जिसका आशय यह है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि वादपत्र के **''कौन से अभिकथन''** के कारण दावा **''किस विधि''** से बाधित है। अगर प्रार्थनापत्र में ऐसा खुलासा नहीं किया गया है तो प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर प्रथम ने उभय पक्ष को सुन कर आदेश दिनांक 5–12–05 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण के पश्चात खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की तात्विक त्रुटि कारित नहीं की है। निगरानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित है तथा न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर प्रथम द्वारा पारित आलोच्य आदेश में विधि अथवा तथ्य सम्बंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. परिणामतः हस्तगत् निगरानी सारहीन होने से एतद् द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाए। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य